क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा मय हस्ताक्षर
	19/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उपस्थित। पी ओ महोदय राजकार्य से बाहर/अवकाश पर। गत आदेशानुसार दिनांक 9/1/19 को पेश हो।
	9/1/19	पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उपस्थित। पी ओ राजकार्य से बाहर/अवकाश है। गत आदेशानुसार दिनांक 20/2/19 को पेश हो।
	20/2/19	आज पत्रावली पेश हुई। वकलाए फरीकैन उपस्थित। आज बार द्वारा कण्डोलेन्स रखी है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 13/3/19 को पेश हो। P.O. सा० राजकार्य से बाहर है।
	13/3/19	वकील फरीकैन उप०। ~~वकील~~ प्रतिवादी सं० 4 बी और 5 अधि० श्री बलवंत सिंह चौधरी ने वकालतनामा मय मुकालिफ जवाब दावा पेश किया। शामिल मिसल रहे। नकल वकील वादी को डिलीवर हुई। अधि० फरीकैन ने बहस करना जाहिर किया। अधि० फरीकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 19/3/19 को पेश हो।
	19/3/19	पत्रावली आज आदेश हेतु नियत थी। आदेश सुनाया गया। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डिक्री जारी हो। ~~पत्रावली बाद तकमील~~ दाखिल नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 66/2017
वाद दायरी दिनांक : 15/06/2017
निर्णय दिनांक : 19/03/2019

1. भंवर सिंह
2. कल्याण सिंह
3. किशोर सिंह
4. दशरथ सिंह

पुत्रान स्व0 नारायण सिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण बिचून हाल निवासी 73, देवीनगर न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

1. दौलत सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिचून हाल निवासी 51/163, मध्यम मार्ग, मानसरोवर जयपुर, राज0।
2. शंकर सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिचून हाल निवासी 1/244, मॉडल टाऊन हाऊसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर।
3. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिचून हाल निवासी 1/244, मॉडल टाऊन हाऊसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर।
4. कान सिंह पुत्र स्व0 जीवण सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिचून हाल निवासी जनता कॉलोनी बस स्टेण्ड मालपुरा, जिला टोंक, राज0।
5. भंवर सिंह
6. इन्दर सिंह
7. मोहन सिंह
8. सम्पत सिंह

पुत्रान स्व0 बजरंग सिंह, जातियान राजपूत निवासीगण बिचून हाल निवासी आधुणा बस स्टेण्ड के पास, छोटी खाटू, तह. डीडवाना, जिला नागौर।

9. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद–पत्र घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 व 188 राज0टी0ए0

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

उपस्थिति – श्री हनुमानप्रसाद चौधरी
श्री महेश कुमार चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री बलवंत सिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4
प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 8 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय दिनांक 19/03/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 व 188 राज0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार सदस्य रहे है तथा ग्राम बिचून के मूल निवासी रहे है एंव ग्राम बिचून पूर्व जागीर का गांव था। तथा समत 2011 से 2029 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के बुजुर्गो के नाम से खाता संख्या 625 के ख.नं. 470 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, ख.नं. 413 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 414 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 412 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा किता 9 रकबा 33 बीघा 17 वाके ग्राम बिचून तहसील दूदू जिला जयपुर का जारी हुआ। उक्त भूमि में से औकार सिंह व गणपत सिंह ने अपने हिस्से की भूमि दीगर व्यक्तियो को विकय कर दिया है तथा बजरंग सिंह ने अपने हिस्से की भूमि का हिस्सा दे चुका है तथा कानसिंह जी के हिस्से की भूमि का अलग तकासमा करा लिया है तथा शेष साबिक ख.नं. 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा व ख.नं. 469 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बिचून वादीगण के हिस्से मे आयी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. गणपत सिंह एंव उनके बडे भाई औकार सिंह ने अपने जीवनकाल में उनके हिस्से की भूमि को विकय कर दी है जिसमें भी वादीगण का नाम शामिल में खातेदारी में था परन्तु उनका तकासमा के दावे में केताओ के हिस्से में आ गये है इसी प्रकार औकार सिंह जी का देहान्त नाऔलाद ही करीब 12 वर्ष पूर्व हो चुका है। तथा गणपत सिंह का देहान्त करीब 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उनके वारिस एंव उतराधिकारी है। तथा बजरंग सिंह का भी देहान्त हो चुका है। जिनके प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 वारिस एंव उतराधिकारी है। उक्त विवादित हाल ख.नं. 322 रकबा 0.52 व 323 रकबा 0.70 किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर हाल राजस्व ग्राम नया बास तहसील मौजमाबाद तन्हा वादी का कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

वादीगण एंव प्रतिवादीगण मूल रूप से उनके बुजुर्गन बिचून के निवासी थे, परन्तु वर्तमान में वादीगण जयपुर निवास करते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जयपुर तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सवाईमाधोपुर, प्रतिवादी संख्या 4 मालपुरा, एंव प्रतिवादी संख्या 5 से 8 छोटी खाटू तहसील डीडवाना जाकर बस गये तथा वादीगण के पिता स्व. नारायण सिंह व प्रतिवादी संख्या 4 कानसिंह जी अपने हिस्से में आयी आराजीयात का अलग से विभाजन कराकर अपने हिस्से में आयी भूमि को अलग से अपने नाम करवाली तथा उक्त विवादित भूमि अकेले वादीगण की ही कब्जे काश्त एंव खातेदारी की रही है। साबिक ख.नं. 468 जिसके हाल ख.नं. 322 एंव साबिक ख.नं. 469 जिसके हाल ख.नं. 323 किता 2 हाल रकबा 1.22 हैक्टर जो पूर्व में ग्राम बिचून तथा हाल ग्राम नया बास में केवल वादीगण अकेले के बुजुर्गो के समय भाई बटवारे में वादीगण के हिस्से में वादीगण के हिस्से में है। चूंकि प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 का तथा अनके पूर्वजो का उक्त वादीगण के हिस्से में आयी भूमि ख.नं. 323 व 323 अकेले वादीगण के हिस्से में थी। तथा उक्त भूमि के साथा प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के जो शामलाती भूमि 33 बीघा 17 बिस्वा थी। उसमें से प्रतिवादीगण कानसिंह को छोडकर शेष प्रतिवादीगण के बुजुर्गो ने विक्रय करके केताओ ने तकासमा करवाकर अलग अलग खाते कायम करवा लिये है तथा प्रतिवादी 4 कानसिंह जी ने भी अपने हिस्से में आयी भूमि का अलग से तकासमा करवा कर अपना खाता अलग कायम करवा लिया है जिसके संबंध में पक्षकारान के बीच कोई विवाद नही है। वादीगण विगत 30 वर्षो से जयपुर निवास करते है तथा आपने हिस्से में आयी उक्त भूमि ख.नं. 322 व 323 किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर वाके ग्राम नया बास तहसील मौजमाबाद को बटाई पर काश्त करवा लेते तथा समय समय पर अपने हिस्से की आराजीयात को संभालते आ रहे है।

यह कि दिनांक 22.02.017 को वादीगण अपने हिस्से की उक्त भूमि की पत्थरगढ (सीमाज्ञान) के लिए पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ली तो ज्ञात हुआ कि उक्त वादीगण के हिस्से एंव कब्जे काश्त की भूमि में अभी भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी 4 व 5 लगायत 8 के बुजुर्गो का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त साबिक ख.नं. 470, 473, 414 व 412 की पूर्व में करवा पर के अलग से खाता कायम करवा लिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिताओ ने उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि विक्रय करके केताओ ने अलग खाता कायम करवा लिया है। तथा शेष साबिक ख.नं. 468 व 469 जिसके हाल ख.नं. 322 व 323 केवल वादीगण के हिस्से के संयुक्त खातेदारी में रह गये। जिस पर वादीगण ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 4 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011–2029, हाल खतौनी भू प्रबन्ध विभाग नयाबास, मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी ग्राम नयाबास सम्वत 2072 से 2072 व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के अनुसार अन्य आराजी के साथ–साथ साबिक खसरा नम्बर 468, 469 का पर्चा हवाला "फतह सिंह वल्द विजय सिंह हि. 1/2, नारायण सिंह व बजरंग सिंह व कान्हसिंह पि. जीवण सिंह हि. 1/2 कौम राजपूत सा0 देह छुटगया" के नाम से जारी हुआ हैं। जो मुताबिक सिजरा पक्षकारान के पूर्वज रहे है एवं कान सिंह स्वयं प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में मौजूद हैं। वादी के कथनानुसार साबिक खसरा नम्बर 468, 469 जिसके हाल खसरा नम्बर 322, 323 है, जो तकसीमा के पश्चात वादी के हिस्से में आये थे तथा अन्य पक्षकारान के हिस्से में जो आराजी आयी थी, वो आराजी उन्होनें दीगर केताओं को बैचान कर दी है, लेकिन हाल ख.न. 322, 323 अभी तक प्रतिवादीगण के नाम से ही दर्ज चली आ रही है, जो वर्तमान रिकार्ड में खातेदार "ओंकार सिंह, गणपत सिंह पुत्रान फतेह सिंह हि. 1/2, भंवर सिंह, कल्याण सिंह, किशोर सिंह, दशरथ सिंह पि. नारायण सिंह, बजरंग सिंह, कान सिंह पि. जीवण हि. 1/2 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार" के नाम से ही दर्ज चली आ रही है, जिससे यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात वादीगण के हिस्से की आराजीयात ही रही है, पर्चा अन्य आराजीयात के साथ–साथ उक्त आराजीयात का भी जारी सामलाती में हुआ है, जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात से भी साबित हैं। प्रतिवादीगण के हिस्से की जो आराजीयात रही है, उसको प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में ही बैचान किया जा चुका है, इस बाबत प्रतिवादी संख्या 4 ने भी इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति दी है, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 8 भी बावजूद रजि0 एडी तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से किसी प्रकार की आपत्ति ही पेश हुयी है जिससे यह साबित है कि वादी के वाद बाबत उनकी मौन सहमति हैं। यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति होती तो वे अपना पक्ष जरूरत रखते। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादीगण अपने

सहायक कलक्टर,

प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 से सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि हमारा नाम यदि तुम्हारे खातेदारी भाई बट में रह गया तो आप दुरूस्त करवा लेवे । इस पर वादीगण ने दिनांक 31.05.2017 का राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प में उपस्थित होने की तारीख मुर्करर की । जिस पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ही हाजिर हुई। तथा तहसीलदार महोदय से कैम्प में राजस्व रिकोर्ड की नकले बतायी तो तहसीलदार महोदय ने बताया कि इसका आपको सक्षम न्यायालय में दावा ही करना पडेगा। इसलिये वादीगण को उक्त आराजीयात ख.नं. 322 323 का घोषणा, एंव इन्द्राज दुरूस्ती का दावा लाना आवश्कीय है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि शाबिक ख.नं. 468 व 469 जिसके हाल ख. नं. 322 रकबा 0.52 व ख.न. 323 रकबा 0.70 किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर वाके ग्राम नया बास पटवार हल्का बिचून तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम से उक्त भूमि में जो नाम है उसे दुरूस्त किया जावें। उक्त भूमि ख.नं. 322 व 323 वाके ग्राम नयाबास पटवार हल्का बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर से वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 19/07/2017 को वादी द्वारा रजि0 ए.डी. रसीद पेश की, जो शामिल पत्रावली की गयी। दिनाक 02/08/2017 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली।

दिनांक 28/08/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 व 5 ल. 8 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 13/03/2019 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री बलवंत सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया, जो शामिल गिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

वकील वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली सुनी बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 4 की बहस सुनी गयी।

वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहें। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 322, 323 कुल किता 02 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर वाके ग्राम नयाबास, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज. . . . . जयपुर 3 कोर : . . .

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम डूडू जिला जयपुर।

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस

अम्बरसिंह चौधरी बनाम दौलतसिंह वगैरह

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, हटाने विभाजन

मुकदमा नं. 66 सन 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हनुमान प्रसाद चौधरी महेशकुमार चौधरी

व हाजिरी निम्नलिखित मुद्दई सबको अभयसिंह चौधरी

निम्नलिखित मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

वादीगण को इन्द्राज नम्बर 322 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.70 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.22 हैक्टर वाके ग्राम नयाबास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य खातेदारों का नाम हटा दिया जाता है।

मिल मुवक्किल बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह × फीसदी ......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... को अदा करें।

बतारा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 03 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) डूडू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4=	–	स्टाम्प अर्जी दावा	4=00	
स्टाम्प वकालतनामा	2=	–	स्टाम्प अर्जी	2=00	
तजवीज सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.20 11:54:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: